

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय प्रथम अपीलेंट एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

श्री प्रकाश चन्द्र पिता लक्ष्मी लाल व्यास निवासी पो 0 देवरिया वाया कोशीथल तहसील रायपुर जिला- भीलवाड़ा।	बनाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर, जिला-भीलवाड़ा
- अपीलार्थी		-प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सू0अ0अधि0

प्रकरण संख्या 71/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2017	प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब प्रत्यर्थी दिनांक 13/09/2017 को पेश हो।  जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
13/9/2017	पत्रावली पेश हुई। समय पर उपस्थित। पीठारसीन अधिकारी पी. सी. शर्मा है। अतः पत्रावली आदि का कार्यवाही के लिए दिनांक 18/9/2017 को पेश हो।  आदेश से	
18-9-2017	पत्रावली पेश हुई। समय पर उपस्थित। पीठारसीन अधिकारी पी. सी. शर्मा है। अतः पत्रावली आदि का कार्यवाही के लिए दिनांक 20/9/2017 को पेश हो।  आदेश से	
20/9/2017	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित नहीं। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने अपीलार्थी को उसके आवेदन में काफ़िल सूचना कि 8/9/2017 को उपलब्ध रूप दी गई जिसकी पत्रावली एवं अपीलार्थी द्वारा अपील में कार्यवाही नहीं वाहने हेतु लिखित में कथन किया जो न्यायालय में उत्तर किया है।  अतः अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिया जाये एवं अपीलार्थी द्वारा उसके	

द्वारा प्रत्यक्ष अपील में कार्यवाही नहीं चाहे  
जाके से अपील जारी की जाती है। अर्थात्  
की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई  
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर गम्ब  
से कम हो।

जिला कलेक्टर, भोलावाड़ा